



अक्षय भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार 14 सितम्बर 2024

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

गिरफ्तारी की वैधता और रिहाई के आवेदन पर विचार किया है मुकदमे के दौरान लंबे समय तक आरोपी को जेल में रखने को जायज नहीं ठहरा सकते

नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाल पूरा परिवार और आम आदमी पार्टी (AAP) उनके जेल से बाहर आने का इच्छा कर रहे हैं। जरिस सूर्यकांत और जस्तिर उचित खुशी ने केजरीवाल को जमानत देते हुए अपने-अपने फैसले सुनाए। जरिस उचित खुशी ने सेंट्रल ब्लूरो औफ इंवेस्टिगेशन (CBI) की गिरफ्तारी की टाइमिंग और आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। वहाँ, जरिस सूर्यकांत को सीधी आई की गिरफ्तारी में अवैधता नहीं ली।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निवारण और सीधी आई जांच कर रही है। इडी के मामले में उन्हें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी, लिकिन सीधी आई मामले में हिरासत के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सके। उन्होंने सीधी आई अरेस्ट के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर उनको रिहाई मिल गई है। 5 सितंबर को दोनों पक्षों की दोलियों सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जरिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा कि न्यायिक अधिकारों में रहें हैं। एसीसीट की अनुमति से दूसरे केस में पुलिस हिरासत में लिए जाने में कोई गलती नहीं। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी की वैधता और रिहाई के आवेदन पर विचार किया है। वह भी देखा है।

सम्पादकीय

14 सितंबर 1949 को भारत की
विधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ
की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया

14 सितंबर का हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था वास्तव में सितंबर का महीना विशेष रूप से हिंदी को समर्पित है और इस महीने में हम सभी हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कामकाज करने का संकल्प भी लेते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी पखचाड़ा के दौरान देश के प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी पर अनेक प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सेमिनारों का आयोजन किया जाता है और पुरस्कार भी बटिया जाते हैं। हम न केवल सरकारी कामकाज करने में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यहाँ यह विचार करने की आवश्यकता है कि अखिर क्या कारण है कि एक हिंदी बाहुल्य वाले देश में हमें हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए दिवस मनाना पड़ रहा है और इसके अधिकाधिक प्रचार प्रसार के लिए पुरस्कार तक बांटने पड़ रहे हैं। वास्तव में यदि हमें हिंदी भाषा का विकास करना है तो हमें संविधान की आठवीं अनुसूची में निहित सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर चलना होगा। हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं से शब्द अपने में समाहित करने होंगे तभी इसका शब्दकोश और अधिक व्यापक बन सकेगा। विकीपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुच्छेद 351 'भारत के संविधान' का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और संघ की राजभाषा के विशेष निदेश का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को सुनिश्चित करता है और साथ ही इस उद्देश्य हेतु संघ या राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों को भी व्याख्यायित करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसमें हिंदी की विशिष्ट विशेषताओं हिंदुस्तानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों को बदले बिना आत्मसात करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णित है कि संघ को संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ-साथ जहाँ आवश्यक या वाल्छीय हो वहाँ अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को समझौत करने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल, आज अंग्रेजी भाषा को ही हम अधिक महत्व दे रहे हैं, क्यों कि एक आम सोच यह विकसित हो चुकी है कि अंग्रेजी के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता है, जबकि यह सोच बहुत ही तुच्छ और गलत है। भाषा कोई भी हो, कभी अच्छी व बुरी नहीं होती है। सभी भाषाएं अपने आप में अच्छी हैं और उनका अपना शब्दकोश व्याकरण है। हिंदी का अपना एक व्यापक शब्दकोश है और एक-एक भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द हैं। हिंदी लिखन के लिये प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है।

खंडनकालीन अंग्रेजी के बाद से हिन्दी और देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में अनेक लोगों में प्रयास हुये

किसी भी देश की भाषा और संस्कृति उस देश में लोगों को लोगों से जोड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिन्दी और देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में अनेक क्षेत्रों में प्रयास हुये हैं। हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा भी है। अतः हम कह सकते हैं की हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। भारत की राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में हिन्दी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है।

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ़ भारत की पहचान है। बल्कि यह हमारे जीवन मूलयों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारतेन्दु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। जिन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में अपना योगदान दिया था।

भारत का स्वतंत्रता के बाद 14 सितम्बर 1949 को सर्विधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद 1953 से सम्पूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाते लगा है जो हिन्दी भाषा के महत्व को दर्शाता है। पिछले 71 सालों से हम प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी मनायें।
यदि हम हिन्दी भाषा के विकास की बात करें

तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले सौ सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन-प्रतिदिन इसमें और तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे देवभाषा भी कहा जाता है। माना जाता है कि हिंदी का जन्म भी संस्कृत भाषा से हुआ है। भारत में धर्म, परंपराओं और भाषा में विविधता के बावजूद यहां के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। इसीलिए हिंदी भारत की सबसे पापरक भाषा है।

सबसे प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी व चीनी भाषा मंदारिन के बाद हिन्दी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। नेपाल, पाकिस्तान की तो अधिकांश आवादी को हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यामार, अफगानिस्तान में भी लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। फिजी, सुरिनाम, गयाना, त्रिनिदाद जैसे देश की

ही हैं। पूरी दुनिया में हिंदी भाषियों की संख्या करीबन एक सौ करोड़ से अधिक है। हिन्दी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और दिल्ली राज्यों की राजभाषा भी है। राजभाषा बनने के बाद हिन्दी ने विभिन्न राज्यों के कामकाज में लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का अभिनव कार्य किया है। लेकिन विश्व भाषा बनने के लिए हिन्दी को अब भी संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों के दो तिहाई देशों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। हम संभावनाएं जता सकते हैं कि शीघ्र ही हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान अधिकतर अपना सम्बोधन हिन्दी भाषा में ही देते हैं। जिससे हिन्दी भाषा का महत्व विदेशी धरती पर भी बढ़ने लगा है। हिन्दी के ज्यादातर शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। यह मुख्य रूप से आर्यों और पारिस्थियों की देन है। इस कारण हिन्दी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। जहाँ अंग्रेजी में मात्र 10 हजार मूल शब्द हैं। वहाँ हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या 2 लाख 50 हजार से भी अधिक है। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ हमारी राजभाषा भी है। भारत की मातृ भाषा हिन्दी को सम्मान देने के लिये प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है।

हिन्दी ने भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला, संगीत के सभी माध्यमों में अपनी उपयोगिता, प्रासांगिकता एवं वर्चस्व कायम किया है। हिन्दी की यह विश्वित हिन्दी भाषियों और हिन्दी का एक तबका हिन्दी की दुर्गति के लिए भी जिम्मेदार है। अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी होता है। यह धारणा हिन्दी भाषियों में हीन भावना लाती है। जिंदगी में सफलता पाने के लिये हर कोई अंग्रेजी भाषा को बोलना और सीखना चाहता है। हिन्दी भाषी लोगों को इस हीन भावना से उबरना होगा, क्योंकि मौलिक विचार मातृभाषा में ही आते हैं। शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा विचार करना सिखाती है और मौलिक विचार उसी भाषा में हो सकता है जिस भाषा में आदमी जीता है। हमें अहसास होना चाहिये कि हिन्दी दुनिया की किसी भी भाषा से कमजोर नहीं है।

बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे-बड़े केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से हिन्दी में दर्जनों पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। हिन्दी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर सुदृढ़ और समृद्ध है। इसके विकास की गति बहुत तेज है।

आदिकाल से अब तक हिन्दी के आचार्यों, सन्तों, कवियों, विद्वानों, लेखकों एवं हिन्दी-प्रेमियों ने अपने ग्रन्थों, रचनाओं से हिन्दी को समृद्ध किया है। परन्तु हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने विचारों, भावों एवं मतों को विविध विधाओं के माध्यम से हिन्दी में अभिव्यक्त करें एवं इसकी समृद्धि में अपना योगदान दें। कोई भी भाषा तब और भी समृद्ध मानी जाती है जब उसका साहित्य भी समृद्ध हो।

के लिए बहुत आसान और सरल माध्यम प्रदान करती है। यह प्रेम, मिलन और सौहाय्य की भाषा है। हिन्दी विविध भारत को एकता देने सुन्दर में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत समझा जाता हो। उस भाषा के प्रति आज हम इतनी उपेक्षा व अवज्ञा क्यों? प्रत्येक वर्ग व्यक्ति हिन्दी भाषा को आसानी से बोल-समझ सकता है। इसलिए इसे सामान्य जनता की भाषा अर्थात् जनभाषा कहा गया है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के एक साथ विकास के कारण हिन्दी ने कहीं ना कहीं अपना महत्ता खो दी है। आज हिन्दी भाषा अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा है। बहुत से बड़े समाचार पत्रों में भी अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी का उपयोग किया जाने लगा है। जो हिन्दी भाषा के लिये शुभ सकेत नहीं है रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर ली है। जहाँ सॉफ्टवेयर की मदद से रूपांतर कर अंग्रेजी से हिन्दी भाषा बनायी जाती है। जिससे ना मात्रा का खाल रहता है और ना ही शुरू वर्तनी का। वर्तमान समय में हिन्दी भाषा वेब समाचार पत्र व पत्रिकायें धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। हिन्दी दिवस के अवसर पर हमें यह सकलत्व लेना चाहिये की हम पूरे मनोरोग से हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अपना निस्वास सहयोग प्रदान कर हिन्दी भाषा के बल पर भारत को फिर से विश्व गुरु बनवाने व सकारात्मक प्रयास करें। अब तो कम्प्यूटर पर भी हिन्दी भाषा में सब काम होने लगे हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से कार्य कर सकते हैं।

हिन्दी है भारत के मरम्मतक का तिलक

- ललित गर्ग-

सम्पूर्ण भारत में 1953 से 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी दिवस मनाने का आवश्यकता क्यों महसूस हुई और आज इस दिवस की अधिक प्रासंगिकता क्यों उभर रही है? क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन हिन्दी की उपेक्षा होती जा रही है। राजनीतिक कारणों से हिन्दी को विवादों एवं संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दी की राह में यूं तो कई बाधाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा शासन में उसकी उपेक्षा और अंग्रेजीदं नौकरशाही का वर्चस्ववादी रवैया है। हिन्दी प्रतिक के रूप में प्रतिष्ठापित करना हिन्दू दिवस की प्राथमिकता होना ही चाहिए। आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने वे बावजूद हिन्दी को उसका उचित स्थान मिलना विडम्बना एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत से ठीक दो वर्ष पहले 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया डच शासन से मुक्त हुआ और अपनी भाषा हावहासन इंडोनेशियाल को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू कर दिया। कुछ इसी तरह 23 अक्टूबर 1923 को जब आधुनिक तुर्क गणराज्य की स्थापना हुई, तो तत्काल तुर्की भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में लागू कर दिया। आज हिन्दी विश्व के सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली तीसरी भाषा है, विश्व में हिन्दी की प्रतिष्ठा एवं प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश में उसकी उपेक्षा एक बड़ा प्रश्न है। सच्चाई तो यह है कि देश में हिन्दी अपने उचित सम्मान को लेकर जूझ रही है। राजनीति की दूषित एवं सकार्ण-स्वार्थ सोच का परिणाम है कि हिन्दी को जो सम्मान मिलना चाहिए, वह स्थान एवं सम्मान राष्ट्र में अंग्रेजी को मिल रहा है। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाने लगा। क्योंकि भारत और अन्य देशों में 120 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते

पढ़ते और लिखते हैं। पाकिस्तान की तो अधिकांश आबादी हिंदी बोलती व समझती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांगार, अफगानिस्तान में भी लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। फिजी, सुरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे देश तो हिंदी भाषियाँ द्वारा ही बसाए गये हैं। हिन्दी का हर दृष्टि से इतना महत्व होते हुए भी भारत में प्रत्येक स्तर पर इसकी इतनी उपेक्षा क्यों?

हिंदी की राह आजादी के बाद ज्यादा जटिल बनी है। आजादी से पहले ज्यादा बाधाएं नहीं थीं। इसी कारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सूत्रधार महात्मा गांधी स्वयं हिंदी के हिमायती थे। उनके पहले केशव चंद्र सेन, लोकमान्य तिलक जैसी हस्तियां भी देश के हृदयों को नजदीक लाने में हिंदी को ही सक्षम एवं प्रभावी मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम के इन महानायकों ने भावी भारत की भाषायी जरूरतों के लिहाज से हिंदी को तैयार करने की कोशिश भी की। लेकिन आजाद भारत में हिन्दी की दशा एवं दिशा ज्यादा चिन्ताजनक बनी है। महात्मा गांधी ने अपनी अन्तर्वेदना प्रकट करते हुए कहा था कि भाषा सर्वधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात् हिन्दी को लागू करने में एक दिन का विलम्ब भी सांस्कृतिक हानि है। मेरा तर्क है कि जिस प्रकार हमने अंग्रेज लुटेरों के राजनीतिक शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, उसी प्रकार सांस्कृतिक लुटेरे रूपी अंग्रेजी को भी तत्काल निर्वासित करें। हिन्दी के लिये इस तरह का दर्द, संवेदना एवं अपनापन हर नागरिक में जागना जरूरी है।

वर्तमान में हिन्दी की दयनीय दशा देखकर मन में प्रश्न खड़ा होता है कि कौन महापुरुष हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेगा? हिन्दी राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र का प्रतीक है, उसकी उपेक्षा एक ऐसा प्रदूषण है, एक ऐसा अंधेरा है जिससे छाटने के लिये ईमानदार प्रयत्न करने होंगे। क्योंकि हिन्दी ही भारत को सामाजिक-राजनीतिक-भौगोलिक और भाषायिक दृष्टि से जोड़नेवाली भाषा है।

उपेक्षा क्यों? क्षेत्रीय भाषा के नाम पर हिन्दी की अवमानना एवं उपेक्षा के व्यश्य उभरते रहे हैं, लेकिन प्रश्न है कि हिन्दी को इन जटिल स्थितियों में कैसे राष्ट्रीय गैरव प्राप्त होगा। भाषावी संकीर्णता न राष्ट्रीय एकता के हित में है और न ही प्रान्त के हित में। प्रान्तीय भाषा के प्रेम को इतना उभार देना, जिससे राष्ट्रीय भाषा के साथ टकराहट पैदा हो जाये, यह देश के लिये उचित कैसे हो सकता है? दरअसल बाजार और रोजगार की बड़ी संभावनाओं के बीच हिन्दी विरोध की राजनीति को अब उतना महत्व नहीं मिलता, क्योंकि लोग हिन्दी की ताकत को समझते हैं। पहले की तरह उन्हें हिन्दी विरोध के नाम पर बरगलाया नहीं जा सकता। हिन्दी भाषा का मामला भावुकता का नहीं, ठोस यथार्थ का है, राष्ट्रीयता का है। हिन्दी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है, यह हमारे अस्तित्व एवं अस्मिता की भी प्रतीक है, यह हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति की भी प्रतीक है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से आक्सीजन लेने वाले दल एवं नेता भी अंग्रेजी में दहाड़ते देखे गये हैं। राजनेता बात हिन्दी की करते हैं, पर उनका दिमाग अंग्रेजीपरस्त है, क्या यह अन्तर्विरोध नहीं है? हिन्दी को वोट मांगने और अंग्रेजी को राज करने की भाषा बनाना हमारी राष्ट्रीयता का अपमान नहीं है? कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता है कि केन्द्र में राजनीतिक सक्रियता के लिये अंग्रेजी जरूरी है। महात्मा गांधी ने सही कहा था कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गुणा है छँ. यह कैसी विडम्बना है कि जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत में समझा जाता हो, उसकी धोर उपेक्षा हो रही है, हिन्दी दिवस पर इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति को नरेन्द्र मोदी सरकार कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगों से दूर करने के लिये प्रतिबद्ध हो, हिन्दी को मूल्यवान अधिमान दिया जाये। ऐसा होना हमारी सांस्कृतिक परतंत्रता से मुक्ति का एक नया इतिहास होना।

क्षमा है पुद्ध एवं शत्रुता का समाधान

दिग्मध्यर जन सनातन
अहम आत्म शुद्धि
दशलक्षण पर्व इस व
पंचमी ८ सितम्बर से
अनंत चतुर्दशी १७
मनाया जा रहा है। इस
प्रारम्भ होकर क्षमावाण
संपन्न होगा, दस दिनों में
दस धर्मों की आराधना
है। पूरे विश्व के दिगंबर
के अनुयायी इस पर्व
उत्साह व आत्मीयता
दशलक्षण पर्व के दिन
उत्तम क्षमा, उत्तम
आर्जव, उत्तम शौच,
उत्तम संयम, उत्तम
त्याग, उत्तम आकिंचन
ब्रह्मचर्य धर्म की ३
जाति है। ये सभी आत्म
क्योंकि इनका सीधा सं
केको मपल परिणामों से
का एक वैशेष्य है
संबंध किसी व्यक्ति
होकर आत्मा के गुण
प्रकार यह गुणों को
पर्व है। इन गुणों से एक
परिपूर्ण हो जाये तो मृ
उपलब्धि होने में किंतु
नहीं रह जाता है। मृ
धर्म को अपने जीवन
अपने जीवन का
सामाजिक, पारिवारिक
व्यक्तिगत रूप से
सकता है, इन दिनों में
जैन मंदिरों में प्रातः से
अम्बार लग जाता है।



मन का स्थर रखना, अपन मात्र क्रोध रूप परिणत न करना क्षमा है। उत्तम क्षमा के धारक पुरुष को मात्र अपने आत्मा की शुद्धि ही साध्य है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमा ने ही सम्पूर्ण जगत को धारण कर रखा है।

क्षमा को धारण करने वाले इंसान ऋजु होते हैं, उनके कर्म संस्कार क्षय होते हैं जबकि जो कुटिल होते हैं, उनके कर्म संस्कार सचित रहते हैं। हंस और बुगुला लगभग एक से लगते हैं, किंतु उन दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर होता है। यही कारण है कि हंस से लोग प्रेम करते हैं और बुगुले से द्वेष करते हैं। जिस प्रकार बौज बोने के लिए जमीन पर हल, चलाकर उसे अच्छी तरह जोतकर तथा कूड़ा-करकट से रहित कर साफ किया जाता है उसी प्रकार क्षमा रूपी बीज का वपन करके मन रूपी भूमि को मांजा जाता है एवं आत्मा की निर्मलता के द्वारा उत्तम चरित्र रूपी फल की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है। दुनिया में आज जितने भी अनर्थ और पापकर्म होते हैं, चाहे हिंसा के रूप में हो, आतंक के रूप में हो, शोषण के रूप में हो वे सब क्षमा के अभाव में ही होते हैं। जो परस्ती और परपदार्थों के प्रति निःस्पृह है, समस्त प्राणियों के प्रति जिसका चित्त अहिंसक है और जिसने दुर्भय अंतरंग मन को धो लिया है ऐसा पवित्र हृदय ही क्षमा धर्म की पात्रता को धारण कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र एवं पावन दिवस पर भी दिल में उलझी गांठ को नहीं खोलता है, तो वह अपने सम्यग्दर्शन की विशुद्धि में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेता है। क्षमायाचना करना, मात्र वाचिक जाल बिछाना नहीं है। परंतु क्षमायाचना करना अपने अंतर को प्रसन्नता से भरना है। बिछुड़े हुए दिलों को मिलाना है, मैत्री एवं करुणा की स्नोतस्विनी बहाना है। गलती करना मानवोचित है, लेकिन क्षमा करना देवतोचित है।

मैत्री पर्व का दर्शन बहुत गहरा है।

